

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय।
पत्रांक:आर- 6 / जे0डी0 / लखनऊ-15(गौतम0) / 152 दिनांक: जून 4 2016,
सेवा में,

मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक,
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-6
जनपद-गौतमबुद्धनगर।
विषय: मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा0 लि0, प्लॉट न0-जी0एच0-01/सी, सेक्टर-168 नौएडा गौतमबुद्धनगर में प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन (टावर-5) निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
सन्दर्भ: यूआईडी:2015/15449/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/3522/जे0डी0
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा प्रस्तावित ग्रुप हाऊसिंग भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध अधोहस्ताक्षरी से किया गया है।

प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी एक्सप्रेस-वे नौएडा से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक: 01-06-2016 का सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर द्वारा कर अपनी संस्तुति आख्या उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है, पत्रावली का संसंगत मानको के अनुसार परीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-कुल प्लॉट एरिया-40,221.26 वर्ग मी0 जिसमें प्रस्तावित टावरो की प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर के पत्र संख्या: भ-6/सीएफओ/जीबीएन-12 (1) दिनांक: फरवरी 2012 के माध्यम से निर्गत की गयी वर्तमान में टावर न0-5 की ऊँचाई में वृद्धि की गयी है विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या		भूतल क्वर्ड एरिया वर्ग मी0		ऊँचाई मी0 में	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर-5	02बी+जी+25	02बी+जी+34	590.141	747.209	78.70	118.10

बेसमेन्ट:- प्रश्नगत भवन के समस्त टावरों के नीचे डबल बेसमेन्ट अपर/लोअर का क्वर्ड एरिया-35,520.74 वर्ग मी0 प्रत्येक।

भवन का अधिमोग विवरण:-प्रस्तावित भवन का अधिमोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में रोड की चौड़ाई मानको के अनुसार 30.00 मीटर अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

बी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।


उपरोक्तानुसार भवन के सैटबक विनियमावली 2006 के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमें किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारों ओर 06 मीटर का मोटरेबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है। बेसमेन्ट की छत 45 टन भार क्षमता की निर्मित करायी जानी अनिवार्य होगी।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर में 02 स्टेयरकेस प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 1.50 मी0 प्रस्तावित है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप में निर्मित किया जायेगा।

4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँच्छनीय है।

1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं हेतु 3,00,000 तीन लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।


मुख्य वास्तुविद एवं नियोजक
नौएडा प्राधिकरण सेक्टर-6
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

- 2-पम्पस:- प्रश्नगत भूमिगत टैंक के पास 2850 एलपीएम क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वॉच्छनीय है जिनका हैड भवन की ऊँचाई के सापेक्ष होना अनिवार्य होगा।
- 3-टेरिस टैंक:-प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 25,000 हजार ली स्थापित कराया जाना एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 4-होजरील:- प्रस्तावित भवन मे प्रत्येक टावर मे प्रत्येक तल पर होजरील एनबीसी मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन मे 150 एमएम का वेटराइजर एनबीसी एवं भारतीय मानक ब्यूरो आईएस-3844 मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन मे रिंग लाइन एवं उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 7-आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:- प्रश्नगत समस्त भवनों के समस्त तलो पर आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम एनबीसी एवं सम्बन्धित मानको के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 8-आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन मे सम्पूर्ण तलो पर आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन मे निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आईएस- 2190 के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन मे स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 12-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे एग्जिट साईनेज एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 13-पीएच सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो मे पीएच सिस्टम एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 14-कम्पार्टमेन्टेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेन्ट मे कम्पार्टमेन्टेशन एनबीसी मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।
- 15-प्रश्नगत भवन मे इमरजेन्सी / स्केप लाईटिंग एनबीसी-2005 पार्ट-4 मे उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 16-भवन मे निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन मे अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एनबीसी पार्ट-4 के प्रस्तर सी-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 मे उल्लेखित मानको का पालन अनिवार्य होगा।
- 17-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा श्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोडा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा० लि०, प्लाट न०-जी०एच०-०१/सी, सेक्टर-१६८ नौएडा गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित गुप हाऊसिंग भवन (टावर-५) के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-२०१० तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-२००५ एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि मे उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र।

(श्री०के० राव)

निदेशक, फायर सर्विस

उ०प्र० सेखनऊ० ख०

उ० प्र० लखनऊ

प्रतिलिपि: 1-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ।

3-अग्निशमन अधिकारी एक्सप्रेस-वे नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स सनवर्ल्ड रेजीडेन्सी प्रा० लि०, प्लाट न०-जी०एच०-०१/सी, सेक्टर-१६८ नौएडा गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ मे अनुपालनार्थ।